20 COURT FEE 20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

115

श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में ।

R - 2021 - II / 2011

1— काशीराम पिता गोंडया,बारेला
2— मुन्ना पिता गोंडया बारेला
3— गनदास पिता मौजी बारेला
4— बाकली बेवा गोंडया बारेला
5— भंगी पिता मुवास्या बारेला
6— चिंता पिता मुवास्या बारेला
7— सीताराम पिता मुवास्या बारेला
निवासी–ग्राम पलसूद, तहसील–राजपूर जिला बडवानी । —— प्रार्थी

विरूद्ध

1— गणपत पिता राहदल
2— जनादीबाई बेवा राहदल
निवासी— म.न.4 हडकीबैडी अंजड तहसील अंजड जिला बडवानी
3— अनपत पिता राहदल
निवासी— प्लाट क्रमांक 13, पिपल्यापाला तहसील व जिला इंदौर
4— तेलस्या पिता सुरभान
5— नानला पिता सुरभान
6— सुन्दरिया पिता सुरभान
7— भाचरिया पिता सुरभान
8— गाठिया पिता मौजी
9— रूमालिया पिता मौजी
10— संतरी बेवा मौजी
11— नवसी पिता मुवास्या
12— नंगी बेवामुवास्या
13— झंझाऊ पिता सरादया
निवासी–ग्राम पलसूद, तहसील–राजपूर जिला बडवानी —— प्रतिप्रार्थी

7-12-11

कौस्तुभ पाठक एड.
7/12/2011

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

प्रकरण के तथ्यः—

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 से 13 के संयुक्त नाम पर कृषि भूमि ग्राम पलसूद स्थित भूमि खाता क्रमांक 324 कुल सर्वे क्रमांक 18 रकबा 10.04 एकड भूमि स्थित रही है। उक्त भूमि के संबंध में एक बंटवारे का प्रकरण प्रार्थी के द्वारा श्रीमान् तहसीलदार राजपूर जिला बडवानी के समक्ष दिनांक 26/04/2008 को प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर तहसीलदार के द्वारा प्रकरण क्रमांक 192/अ–27/2007–08 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थीगण की सहमति से विधिवत बंटवारा आदेश दिनांक 19/11/2009 को पारित किया गया। जिसमें सभी पक्षों की पूर्ण सहमति होकर सभी पक्ष अपने हिस्सें की भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि पर प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 से 11 के कोई स्वत्व व अधिकार तथा आधिपत्य न होने के आधार पर उनके द्वारा सदर प्रकरण में कोई भूमि प्राप्त न करने बाबत सहमति

---2

प्रदान की गई। उक्त आदेश के 2 वर्षो के पश्चात प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 से 3 के द्वारा श्रीमान् कलेक्टर बडवानी के समक्ष जनसुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त बंटवारा आदेश को पुनः खोलने की प्रार्थना की गई, जिसके आधार पर तहसीलदार के द्वारा उक्त प्रकरण के पुर्नविलोकन हेतु श्रीमान् तहसीलदार के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन भेज कर उक्त प्रकरण में पुर्नविलोकन किए जाने की अनुमति चाही गई। जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रार्थीगण को बिना सूचना पत्र दिए व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए उक्त आदेश के पुर्नविलोकन की अनुमति दिनांक 14/11/2011 की प्रोसिडिंग द्वारा प्रदान कर दी गई। इसी आलोच्य आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण के द्वारा सदर निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-

बहस के आधार :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर जारी सूचना पत्र विधि विधान की मंशा एवं रेकार्ड पर मौजूद तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है ।

2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के प्रावधानों को समझे आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

3- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी पहलू को नजर अंदाज किया गया है कि संबंधित सभी पक्षों को सुनने व सूचना पत्र प्रेषित किए बिना पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है, सदर प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की होने से सदर प्रकरण में अनुमति प्रदान करने संबधित पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। **अवलोकनीय 2000 राजस्व निर्णय 76, 2009 राजस्व निर्णय 96।**

4- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर न देते हुए पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । इस **संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2000 रेवेन्यु निर्णय पृष्ठ 76 अवलोकनीय है।**

5- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस कानूनी पहलू को नजर अंदाज किया गया है कि शिकायतकर्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के बंटवारा प्रकरण में सहमति प्रदान की गई है। अतः सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध न तो कोई अपील हो सकती है, और न ही पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित अवैधानिक होकर निरस्त होने योग्य है। **अवलोकनीय 1978 रेवेन्यु निर्णय**

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2021-दो/2011 जिला बडवानी

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	